#### FC/HPB/01/160/2022





## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ, उप-कार्यालय, शिमला/

Sub-Office, Shimla of Regional Office, Chandigarh पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest and Climate Change सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood शिमला. हिमाचल प्रदेश-171001

Shimla, Himachal Pradesh - 171001





Date: 07.2023

सेवा में.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(e-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय Diversion of 2.4957 ha. of forest land in favour of Bholenath Power Construction Company Pvt. Ltd. for the construction of 5.0 MW Pakhnoj-II SHEP within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P. (Online No. FP/HP/HYD/145089/2021).

सन्दर्भः Online Proposal No. FP/HP/HYD/40895/2019 uploaded by State Government vide letter No. Ft. 48-5729/2022 (FCA) dated 01.03.2023.

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए), हिo प्र o के पत्र दिनांक 06.10.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 16.03.2023 को हुई बैठक में संस्तुति एवम् प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति के उपरांत Diversion of 2.4957 ha. of forest land in favour of Bholenath Power Construction

Company Pvt. Ltd. for the construction of 5.0 MW Pakhnoj-II SHEP within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P. हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage I Approval) निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:-

- 1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- 2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- 3. प्रतिपुरक वनीकरणः
  - (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.0 हे0 वन भूमि Block/Compartment/Survey No. UPF Barsai-III, Naggar Forest Range, Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए। चूंकि जमीन राज्य सरकार के कब्जे में है, अतः FCA Guidelines के Para 2.4(iii) के अनुसार CA land को विधिवत स्वीकृति से पूर्व राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित (mutation) किया जाए एवं नियमानुसार अगर आवश्यक हो तो IFA, 1927 के अंतर्गत PF/RF अधिसूचित किया जाए। वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रणाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।
  - (ख)राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही Compartments/खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
  - (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रणाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

1/49468/2023

(घ) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर , यदि आवश्यक हो , तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण , सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

### 4. शुद्ध वर्तमान मूल्यः

- में (क) इस संबंध माननीय सर्वोच के WP भारत न्यायालय (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पत्रांक 5-1/1998- एफ.सी. (Pt. मंत्रालय द्वारा 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 18.09.2003, दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol.-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.4957 हे o वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख)विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि , यदि कोई हो , जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो , को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
- 5. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।
- 6. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
- 7. Since the proposed components of project are located in hilly terrain and huge amount of muck will be produced during excavation and construction of project components that may lead to erosion in the area, therefore as per the recent directions of MoEF & CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-l compliance. However, in cases where it is not possible for the State to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage-l compliance. The deficit amount, as per said plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An undertaking to this effect may also be submitted.
- 8. The State Govt. shall ensure to submit the TEC and IA before Stage-II (final) approval.
- 9. The State Govt. shall ensure to submit FRA Certificate along with all prescribed annexures including all records of consultations and meetings with DLC, SDLC, Gram Sabha(s) and FRC(s) of concerned villages before Stage-II (final) approval. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- **10.**The State Govt. shall ensure to submit the final NoC of Fisheries Department issued for the extant project before Stage-II (final) approval.
- 11. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करें।
- 12. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 07 Trees (04 Trees and 03 Saplings) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
- 13. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- 14. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षितपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे।
- 15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के प्रावधानों के अनुसार , प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
- 16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
- **17.** वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

#### FC/HPB/01/160/2022

- 19. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. 1/49468/2023 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
  - **20.** परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
  - 21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
  - 22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
  - **23.** The State Government/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna.
  - **24.** Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
  - **25.** State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project.
  - **26.** The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly.
  - 27.प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
  - 28.यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।
  - 29. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42 / 2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघन कर्ता पर कार्रवाई होगी।
  - **30.** अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय, ह o/-(राजाराम सिंह) उप महानिरीक्षक वन (के.)

# प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (E-mail: <u>adgfc-mef@nic.in</u>).
- 2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: <u>rohq-mefcc@gov.in</u>).
- 3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
- 4. Bholenath Power Construction Company Pvt. Ltd., Kullu, HP. (bholenathpower@gmail.com).
- 5. आदेश पत्रावली।